(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2991–एक/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 26–05–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमच, प्रकरण कमांक 09/अ–70/2010–11

.....

उंकारदास पिता मोडीदास जी बैरागी
निवासी–नेवड, तहसील व जिला–नीमच
..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीवेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा
ट्रस्टी चौथमल पोरवाल, निवासी–नीमच
तहसील व जिला–नीमच .....अनावेदक

.....

श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक,
श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक,

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/14 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार नीमच के यहां संहिता की धारा 250 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन श्री वेदमाता गायत्री सेवा ट्रस्ट की भूमि के लिए चौथमल पिता औंकारलाल जी पोरवाल, निवासी–88 शिक्षक कालोनी नीमच के नाम से प्रस्तुत किया था एवं राजस्व दस्तावेज खाता खसरा नकल में भी विवादित भूमि श्री वेदमाता गायत्री सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रमुख ट्रस्टी चौथमल पोरवाल के नाम से ही दर्ज है उक्त आवेदन, आवेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके जवाब में आवेदक ने एक आवेदन पत्र आदेश 14 नियम 2 व धारा 32 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 का प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक ने तहसीलदार नीमच से यह निवेदन किया की चूँकि आवेदित भूमि श्री वेदमाता गायत्री सेवा ट्रस्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और इसलिये मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 32 सहपठित आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. के अनुसार किसी भी ट्रस्ट की ओर से कोई भी आवेदन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक की ट्रस्ट पंजीकृत नहीं हो और प्रस्तुत ट्रस्ट के आवेदन में अनावेदक ने कहीं पर भी ट्रस्ट के पंजीयन होने का उल्लेख नहीं किया और न ही ट्रस्ट का पंजीयन क्रमांक ही अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त ट्रस्ट अपंजीकृत है और तहसीलदार नीमच द्वारा आवेदन के संबंध में एक अंतरिम आलोच्य आदेश दिनांक 26.5.2012 को पारित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 26.5.2012 के विरुद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदक द्वारा जो आवेदन तहसीलदार नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह अधिकार विहीन होकर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 32 सहपठित आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होकर उक्त आवेदन अनावेदक क्रं0 2 के यहां प्रचलन योग्य नहीं होकर उक्त अधिनियम के तहत अपंजीकृत ट्रस्ट की ओर से किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद किसी न्यायालय द्वारा सुना व विनिश्चत नहीं किया जावेगा एवं अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आपत्ति प्राप्त होते ही अनावेदक को सर्वप्रथम ट्रस्ट के पंजीयन की जानकारी प्राप्त करना थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय

ने ऐसा नहीं करके विधि की गंभीर भूल की है । मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 32 अनुसार अपंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही अपने आवेदन में चौथमल पोरवाल द्वारा कहीं पर भी यह उल्लेख किया है कि उन्हें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ट्रस्ट की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार ही दिया गया है उक्त आवेदन के आदेश हेतु तहसीलदार नीमच ने प्रकरण को दिनांक 04.11.2011 व दिनांक 08.11.2011 की प्रोसिंडींग में उल्लेख किया व निर्णय हेतु दिनांक 11.11.2011 को प्रकरण नियत किया, परन्तु प्रकरण को तारीख पेशी पर ही लिया गया व इसके पश्चात से लगातार आवेदक द्वारा तहसीलदार नीमच के यहां निर्णय हेतु जानकारी ली गई परन्तु प्रत्येक बार यही कहा गया की अभी आदेश नहीं हुआ है और न ही आवेदक व अनावेदक के प्रोसिंडीग पर हस्ताक्षर ही लिये गये और फिर आलोच्य आदेश दिनांक 26.5.2012 को पारित कर दिया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गई जबकि आवेदक लगातार उक्त आदेश के बारे में तहसीलदार नीमच व उनके रीडर से संपर्क करता रहा परन्तु आदेश की कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई व पश्चात् में आवेदक को दिनांक 06.07.2012 को सूचना पत्र संबंधित प्रकरण की आगामी पेशी बाबत् प्राप्त हुआ तो आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी हुई व आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रोसिंडीग प्राप्त कर सदर निगरानी जानकारी दिनांक 06.07.2012 को होने से व प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 13.07.2012 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24.07.2012 को प्राप्त होने से नियत समयावधि में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत जो आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 26.05.2012 पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है । प्रार्थी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. व धारा 32 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है । आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 06.07.2012 को तहसीलदार नीमच के द्वारा दिये गये सूचना पत्र से प्राप्त हुई इसके पश्चात् आलोच्य आदेश व प्रोसिंडींग की नकल प्राप्त कर नियम समयावधि में इस न्यायालय के समक्ष सदर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया है । सदर पुनरीक्षण को श्रवण करने का

श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार को संहिता संशोधन अधिनियम की क्रं0 42 वर्ष 2011 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 30.12.2011 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अन्त में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.05.2012 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के, अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में तहसीलदार नीमच के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर अभिलेख के आधार पर विधिवत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया । संहिता के अन्तर्गत भूमि स्वामी जिसके नाम भूमि अभिलेख में अभिलिखित है आवेदन देने का हक रखता है । ट्रस्ट का पंजीयन होना अथवा पंजीयन न होना महत्वपूर्ण नहीं है । सीमांकन के समय भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष उठाई गई आपत्ति निरर्थक तथा आधारहीन थी तथा उसे अमान्य करने में उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर